भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2959

दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

उत्तर पूर्व राज्यों में जल विद्युत क्षमता का विकास

2959. श्री दिलीप शइकीयाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर पूर्व राज्यों में जल विद्युत क्षमता के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके लिए प्रदान की जा रही केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है और उक्त योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी लागत आएगी; और

(ग) क्या उक्त योजनाओं से निवेश में आसानी होगी और स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में जलविद्युत विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही स्कीमों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता

2. सड़कों/पुलों के निर्माण के लिए सक्षम अवसंरचना की लागत के लिए बजटीय सहायता। इस स्कीम को निम्नलिखित के निर्माण पर होने वाली लागत शामिल करने के लिए विस्तृत किया गया है: **(i)** पावर हाउस से निकटतम पूलिंग पॉइंट तक पारेषण लाइन जिसमें राज्य/केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी के पूलिंग सबस्टेशन का उन्नयन शामिल है **(ii)** रोपवे **(iii)** रेलवे साइडिंग, और **(iv)** संचार अवसंरचना। परियोजना तक पहुँचने वाली मौजूदा सड़कों/पुलों को सुदृढ़ करना भी इस स्कीम के तहत केंद्रीय सहायता के लिए पात्र है।

3. जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के इक्विटी हिस्से को वित्तपोषित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) की स्कीम, जिसकी सीमा कुल परियोजना इक्विटी के 24% तक होगी, जो प्रति परियोजना अधिकतम 750 करोड़ रुपये होगी, जिसमें मामले-दर-मामला आधार पर 750 करोड़ रुपये की सीमा पर पुनर्विचार करने का प्रावधान है।

(ख) : पूर्वोत्तर राज्यों में जलविद्युत के विकास के लिए प्रदान की जा रही केंद्रीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

i. भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (2880 मेगावाट) के बाढ़ नियंत्रण घटक के लिए 6159.40 करोड़ रूपये के अनुदान को अनुमोदित किया है। परियोजना के बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए अब तक 109 करोड़ रूपये की राशि प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

ii. भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 की अवधि के लिए ₹12,461 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ देश में पंप भंडारण परियोजनाओं सहित जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सक्षम अवसंरचना की लागत के लिए बजटीय सहायता की स्कीम को अनुमोदित किया है। सक्षम अवसंरचना के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (2880 मेगावाट) के लिए ₹556.15 करोड़, टाटो-I जल विद्युत परियोजना (186 मेगावाट) के लिए ₹77.37 करोड़ और हीओ जल विद्युत परियोजना (240 मेगावाट) के लिए ₹127.28 करोड़ का अनुदान अनुमोदित किया गया है।

iii. भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 की अवधि के लिए ₹4136 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों द्वारा इक्विटी भागीदारी को वित्तपोषित करने के लिए सीएफए की स्कीम को अनुमोदित किया है। स्कीम के तहत सीएफए के रूप में टाटो-I (186 मेगावाट) के लिए ₹120.43 करोड़ और हीओ (240 मेगावाट) जल विद्युत परियोजना के लिए ₹130.43 करोड़ की राशि अनुमोदित की गई है।

iv. सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) के संबंध में डाउनस्ट्रीम संरक्षण कार्यों की लागत के लिए निर्धारित राशि ₹ 188.24 करोड़ में से ₹ 164.70 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।

(ग) : जलविद्युत परियोजनाएं पूंजी गहन हैं और इनके लिए उच्च अग्रिम लागत की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च टैरिफ होता है। उपर्युक्त स्कीमों के माध्यम से बजटीय सहायता के साथ, विकासकर्ता के निवेश के बोझ को कम करने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, इन उपायों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी निवेश लाने और स्थानीय आबादी को बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ परिवहन, पर्यटन, लघु-स्तरीय व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोजगार/उद्यमिता के अवसर प्रदान करने और भविष्य में पूर्वोत्तर के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने के लिए आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है।

****